## अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2021

**सा.का.नि. 180(अ).**—केन्द्रीय सरकार, रेल मंत्रालय में रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम, 2021 के नियम 9 के अनुसरण में निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा प्रधान निजी सचिव श्रेणी विनियम, 2021 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पात्रता की शर्तें.-** रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा का कोई ऐसा नियमित अधिकारी जिसने चयन सूची वर्ष की 1 जुलाई को निजी सचिव की श्रेणी में कम से कम छह वर्ष की अनुमोदित सेवा की हो, पात्र होगा।

3. **रिक्ति का अवधारण.-** चयन सूची वर्ष की नियमित रिक्तियां, नियमों के अनुसार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा अवधारित की जाएंगी और यदि चयन एक से अधिक चयन सूची वर्ष के लिए किया जाना है तो तदनुसार रिक्तियां प्रत्येक चयन सूची वर्ष के लिए अवधारित की जाएंगी।

4. **चयन क्षेत्र-** अवधारित रिक्तियों के अनुसार, पात्र पदधारियों का चयन क्षेत्र रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

5. **विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन-** (1) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या जहां अध्यक्ष उपस्थित होने में असमर्थ है वहां आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई अन्य सदस्य और निम्नलिखित अन्य सदस्यों को मिलाकर एक विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन किया जाएगा:-

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य | - | अध्यक्ष; |
| (ii) | सचिव, रेलवे बोर्ड | - | सदस्य; |
| (iii) | एक कार्यपालक निदेशक या संयुक्त सचिव, रेलवे बोर्ड | - | सदस्य। |

   (2) विभागीय प्रोन्नति समिति केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों या अनुदेशों का अनुसरण करेगी।

6. **पैनलों को तैयार करना –** (1) विभागीय प्रोन्नति समिति, उपर्युक्त विनियम 3 में यथा अवधारित रिक्तियों पर चयन के लिए सामान्यत: प्रत्येक वर्ष बैठक करेगी।

   (2) विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नतर श्रेणी में चयनित अधिकारियों की ज्येष्ठता में क्रमांकित उनके नामों के पैनल की सिफारिश कर सकेगी:

   परंतु भिन्न-भिन्न चयन सूची वर्ष की रिक्तियों के लिए पृथक पैनल तैयार किए जाएंगे और यदि किसी चयन सूची वर्ष की रिक्तियों के लिए चयन एक से अधिक अवसर पर किया जाता है तो ऐसे प्रत्येक अवसर पर एक पैनल (भाग) तैयार किया जाएगा।

   (3) किसी चयन सूची वर्ष की ऐसी रिक्तियां जो उपयुक्त या पात्र अधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण भरी नहीं जा सकी हैं, अगले चयन सूची वर्ष अग्रनीत कर दी जाएंगी और प्रथम चयन सूची वर्ष के लिए चयन प्रक्रिया को पूर्ण हुआ समझा जाएगा।

7. **प्रधान निजी सचिव श्रेणी के लिए नियुक्तियां.-** (1) प्रधान निजी सचिव की श्रेणी के लिए नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसे क्रम में की जाएंगी जिसमें तत्समय प्रवृत्त विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा तैयार किए गए पैनल या पैनल (भाग) में अधिकारियों के नाम दर्शाए गए हैं।

   (2) पैनल या पैनलों (भाग) में सम्मिलित किया जाना, उस श्रेणी में नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा जो केवल नियमित रिक्ति की उपलब्धता पर किया जाएगा।

8. **पैनल से नाम का हटाया जाना.-** रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा निम्नलिखित प्रवर्गों के व्यक्तियों के नाम चयन सूची से हटा दिए जाएंगे:-

(क) ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त अधिकारी;

(ख) किसी अन्य सेवा या पदों पर स्थानांतरित अधिकारी;

(ग) ऐसे अधिकारी, जिनकी मृत्यु हो गई है, सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं या अन्यथा जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।

[सं. ईआरबी-I/2013/11/4]

एस. के. अग्रवाल, संयुक्त सचिव (राजपत्रित)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th March, 2021

**G.S.R. 180(E).—**In pursuance of rule 9 of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service Rules, 2021, the Central Government in the Ministry of Railways hereby makes the following regulations, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These regulations may be called the Railway Board Secretariat Stenographers' Service Principal Private Secretary Grade Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Conditions of eligibility.-** Any regular officer of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service, who on the 1st July of the select list year have rendered not less than six years' of approved service in the grade of Private Secretary, shall be eligible.

3. **Determination of vacancy.-** Regular vacancies for a select list year shall be determined by the Ministry of Railways (Railway Board) as per rules and if the selection is to be made for more than one select list year, vacancies shall accordingly be determined for each select list year.

4. **Field of selection.-** In accordance with the vacancies determined, a field of selection of eligible officials shall be fixed by the Central Government in the Ministry of Railways (Railway Board).

5. **Constitution of Departmental Promotion Committee.-** (1) There shall be a Departmental Promotion Committee consisting of the Chairman of the Union Public Service Commission or, where the Chairman is unable to attend, any other Member of the Commission representing it and other members as follows :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | The Chairman or a Member of the Union Public Service Commission | - | Chairman; |
| (ii) | Secretary, Railway Board | - | Member; |
| (iii) | One Executive Director or Joint Secretary, Railway Board | - | Member. |

(2) The Departmental Promotion Committee shall follow the guidelines or instructions as laid down by the Central Government from time to time.

6. **Preparation of Panels.-** (1) The Departmental Promotion Committee shall normally meet every year for selection against vacancies as determined in regulation 3 above.

(2) The Departmental Promotion Committee will recommend a panel of names of selected officers assigned in the order of their seniority in the lower grade:

Provided that separate panels will be prepared for vacancies of different select list year and if selection for vacancies of any select list year is made on more than one occasion, on every such occasion a panel (part) will be prepared.

(3) Vacancy for a select list year which may not be filled up, due to non-availability of suitable or eligible officers shall be carried forward to the next select list year and the selection process for the first select list year shall be deemed to have been completed.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2021

**सा.का.नि. 181(अ).**—केन्द्रीय सरकार, रेल मंत्रालय में रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम, 2021 के नियम 10 के अनुसरण में निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा, निजी सचिव श्रेणी (ज्येष्ठता कोटा) के लिए पैनल या पैनलों (भाग) की तैयारी विनियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पात्रता की शर्तें.-** रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा का कोई ऐसा नियमित पदधारी जिसने चयन सूची वर्ष की 1 जुलाई को वैयक्तिक सहायक की श्रेणी में कम से कम पांच वर्ष की अनुमोदित सेवा की है, पात्र होगा।

3. **रिक्ति का अवधारण.-** चयन सूची वर्ष की नियमित रिक्तियां, नियमों के अनुसार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा अवधारित की जाएंगी और यदि चयन एक से अधिक चयन सूची वर्ष के लिए किया जाना है तो तदनुसार रिक्तियां प्रत्येक चयन सूची वर्ष के लिए अवधारित की जाएंगी।

4. **विचार क्षेत्र का निर्धारण.-** अवधारित रिक्तियों के अनुसार पात्र पदधारियों का विचार क्षेत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में निर्धारित किया जाएगा।

5. **विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन -** (1) निजी सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र पदधारियों की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए और उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना निमनानुसार होगी:-

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | संयुक्त सचिव (राजपत्रित) | - | अध्यक्ष; |
| (ii) | दो निदेशक | - | सदस्य। |

(2) विभागीय प्रोन्नति समिति, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों या अनुदेशों का अनुसरण करेगी।

6. **पैनलों को तैयार करना –** (1) विभागीय प्रोन्नति समिति, निजी सचिव की श्रेणी में प्रोन्नति के लिए पात्र पदधारियों का विचार करने के लिए वार्षिक रूप से बैठक करेगी।

(2) संवर्ग प्राधिकारी, विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा योग्य पाए गए या इससे अन्यथा पदधारियों के नामों के प्राप्त होने पर निम्नतर श्रेणी में उनकी ज्येष्ठता के क्रम में विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा चयनित पदधारियों के नामों को व्यवस्थित करके योग्य पाए गए पात्र पदधारियों में से पदधारियों का पैनल या पैनल (भाग) तैयार करेगी, परंतु भिन्न-भिन्न चयन सूची वर्ष की रिक्तियों के लिए पृथक पैनल या पैनल (भाग) तैयार किए जाएंगे।